तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील जी.एस.एम.एस. संख्या 2025 / 1626** **सीताराम बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.10.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री सी.पी. बलाई एडवोकेट ने अपना वकालतनामा पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात् अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर उनकी बहस प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि न्यायालय हाजा में विचाराधीन अपील संख्या 99 / 2013 उनवान श्रीमती मनफूली देवी बनाम सरकार में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना में कोस्ट की राशि राजकोष में जमा नही करवाये जाने एवं बहस हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 21.02.2017 को अपील खारिज की गई है। जिसके विरूद्ध लगभग 8 वर्ष पश्चात् असाधारण विलम्ब से हस्तगत प्रार्थना पत्र बाजदायरी प्रस्तुत किया गया है, जो मियाद बाहर होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाजदायरी खारिज किया जाता है। हस्तगत पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा हमफीता मूल पत्रावली रहे। आदेश सुनाया गया। (पूनम) संभागीय आयुक्त जयपुर संभागीय आयुक्त जयपुर	